भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4376

बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन</u>

4376. श्रीमती भारती पारधीः
श्री संजय हरिभाऊ जाधवः
श्री श्रीरंग आप्पा चंद्र बारणेः
श्री संजय उत्तमराव देशमुखः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य-वार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन को कम अपनाने वाले राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है या नीतियों तैयार/कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार विभित्र राज्यों, विशेषकर उत्क्त राज्यों में सौर क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रिड एकीकरण चुनौतियों का किस प्रकार समाधान कर रही है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) फरवरी, 2024 से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों सहित देश भर में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर स्थापना करना है।

यह योजना मांग आधारित है और कोई राज्य-वार लक्ष्यों का आवंटन नहीं किया जाता। देश के सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है, वे योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।

दिनांक 12.08.2025 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत देश भर में रूफटॉप सौर स्थापनाओं से कुल 17,15,823 घर लाभान्वित हुए हैं । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा आरईसी लिमिटेड, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के रूप में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों सहित सभी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ गहन समन्वय से कार्य करते हैं, ताकि चुनौतियां, यदि कोई हो, की पहचान की जा सके, और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें।

इसके अलावा, सरकार ने इस योजना के तहत रूफटॉप सौर अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो दर +50 bps अर्थात वर्तमान के लिए 6% प्रति वर्ष की रियायती दर पर 10 वर्षों की समयावधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को समाप्त करके और 10 किलोवाट तक स्वचालित भार वृद्धि शुरू करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- पर्याप्त और योग्य वेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- कुशल जनशक्ति (मैनपावर) तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- देश भर में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है।
- शिकायतों के समय पर समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

(ख) और (ग): मंत्रालय, देश में विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) सरकार ने ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए विभिन्न पहल की हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

i. नवीकरणीय संयंत्रों के इंटरकनेक्शन और परिचालन को नियंत्रित करने वाले व्यापक विनियम और मानक जैसे कि सीईए (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) कनेक्टिविटी मानक, लचीले तापीय संयंत्र परिचालन और भारतीय विद्युत ग्रिड कोड 2023;

ii. संसाधन पर्याप्तता पहल जैसे सौर भार स्थानांतरण, भंडारण लक्ष्य, और बड़े पैमाने पर बैटरी भंडारण पायलट; और

iii. 12 नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के वास्तविक - समय पूर्वानुमान, समय-निर्धारण और निगरानी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों (आरईएमसी) की स्थापना करना।

iv. ऊर्जा भंडारण बाध्यता की अधिसूचना

v. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली शुल्कों में छूट देना।

vi. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की खरीद तथा उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

vii. पंप्ड भंडारण परियोजनाओं के विकास के लिए दिशानिर्देश

viii. पंप्ड भंडारण परियोजनाओं के लिए सक्षम अवसंरचना हेतु बजटीय सहायता।

ix. सीईआरसी (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 के अंतर्गत ईएसएस (ऊर्जा भंडारण प्रणाली) से सहायक सेवाएं

x. इंट्रा और इंटर- स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।

अनुलग्नक-I

'प्रधानमंत्री सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.08.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4376 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

दिनांक 12.08.2025 कि स्थिति के अनुसार, पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित परिवार (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	44811
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	31261
4	बिहार	10167
5	छत्तीसगढ़	5850
6	गोवा	1020
7	गुजरात	564014
8	हरियाणा	31256
9	हिमाचल प्रदेश	3864
10	झारखंड	749
11	कर्नाटक	17219
12	केरल	131931
13	मध्य प्रदेश	56317
14	महाराष्ट्र	408472
15	मणिपुर	465
16	मेघालय	22
17	मिजोरम	451
18	नागालैंड	44
19	ओडिशा	11431
20	पंजाब	8322
21	राजस्थान	69496
22	सिक्किम	10
23	तमिलनाडु	41883
24	तेलंगाना	24315
25	त्रिपुरा	712
26	उत्तराखंड	41033
27	उत्तर प्रदेश	191548
28	पश्चिम बंगाल	795
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	84
30	चंडीगढ़	624
31	जम्मू और कश्मीर	9213
32	लद्दाख	728
33	लक्षद्वीप	540
34	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5386
35	पुदुचेरी	1388
36	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	402
	कुल	**17,15,823**

अनुलग्नक-II

'प्रधानमंत्री सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.08.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4376 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की चल रही प्रमुख विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा योजनाएँ/कार्यक्रम

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन</th></tr>
<tr><td>(क) प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना</td><td>1. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए सीएफए निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>आवासीय खंड का प्रकार</th><th>सीएफए</th><th>सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)</th></tr>
<tr><td>आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)</td><td>30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td></tr>
<tr><td>समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
</table>
2. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में डिस्कॉमों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है ताकि उन्हें अनुकूल विनियामक और प्रशासनिक तंत्र बनाने, कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य हासिल करने जैसी गतिविधियों में प्रेरित और मदद की जा सके। प्रोत्साहन, स्थापित आधार क्षमता के 10% से अधिक और 15% से कम की स्थापित बेस क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 5% है; स्थापित आधार क्षमता के 15% से अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 10% है।</td></tr>
</table>

	3. आवासीय रूफटॉप सौर प्रणाली **(**आरटीएस) की स्थापना को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर प्रयास करने के लिए**,** प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को यूएलबी/पीआरआई के अधिकार क्षेत्र में आवासीय खंड में आरटीएस की प्रत्येक स्थापना के लिए 1000 रुपये की दर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी शामिल है**,** जिसके लिए उपभोक्ता को सीएफए हस्तांतरित कर दिया गया है। 4. इसके अतिरिक्त, देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान किया गया है, जिसमें पीएमएसजी: एमबीवाई योजना के अंतर्गत प्रत्येक आदर्श सौर गांव को 1 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।
ख) पीएम-कुसुम योजना	**घटक-क:** 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है। **घटक-ख:** 14 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। **घटक-ग:** फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 35 लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण। **उपलब्ध लाभ:** (क) व्यक्तिगत पंप सौरीकरण (आईपीएस): सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की

<table>
<tr><td></td><td>जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।
(ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस): एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है।</td></tr>
<tr><td>ग) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान (डीए जेजीयूए) के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (अनुसूचित जनजातियों और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)</td><td>
<table>
<tr><th>घटक</th><th>केंद्रीय भाग (100%)</th></tr>
<tr><td>1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी घरों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रिड प्रणाली का प्रावधान</td><td>50,000 रु. प्रति घर या वास्तविक लागत के अनुसार</td></tr>
<tr><td>सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के अंतर्गत)</td><td>प्रति एमपीसी 1 लाख रु.</td></tr>
<tr><td>ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)</td><td>20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

*****